न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 27 / 2021

1 रामसिंह उर्फ रामनिवास आयु 46 साल पुत्र भूदरमल
2 श्रीमती मूली उर्फ श्रीमती मूलती आयु 70 साल पत्नी स्व. भूदरमल जाति कुम्हार पेशा कृषि निवासी महरमपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 पवन कुमार दत्तक पुत्र स्व. प्रहलादराम जाति जाट निवासी महरमपुर नाबालिग जरिये वली कुदरती श्रीमती चान्दकोर पत्नी स्व. प्रहलादराम जाति जाट निवासी महरमपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं माता खुद।
2 श्रीमती इन्द्रा पुत्री स्व. प्रहलादराम जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 श्रीमती छोटी पुत्री स्व. प्रहलादराम जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 जगदीश आयु 62 साल पुत्र स्व. मगाराम उर्फ मुंगाराम जाति कुम्हार निवासी महरमपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 हरलाल आयु 60 साल पुत्र स्व. ताराचन्द तथाकथित कुरड़ाराम जाति कुम्हार निवासी महरमपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 श्रीमती गिनिया आयु 55 साल पत्नी स्व. उदमीराम पुत्री स्व. ताराचन्द तथाकथित कुरड़ाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों की ढाणी तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 श्रीमती द्रोपदी आयु 62 साल पत्नी महेन्द्र पुत्री स्व. ताराचन्द तथाकथित कुरड़ाराम जाति कुम्हार निवासी गुगोजी के मंदिर के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
8 नरेन्द्र आयु 37 साल पुत्र
9 राजेश आयु 43 साल पुत्र
10 श्रीमती शारदा आयु 65 साल पत्नी स्व. महावीर जाति कुम्हार निवासी महरमपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
12 श्रीमती चावली पत्नी स्व. ग्यारसीलाल
13 राजेन्द्र
14 रतनलाल
15 भालाराम
16 गणेश
17 मुकेश पुत्रगण स्व. ग्यारसीलाल
18 मु. छोटी पत्नी दलीप पुत्री स्व. ग्यारसीलाल जाति कुम्हार निवासी पंचायत समिति के सामने गणेश मंदिदर के पास चिडावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 25 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 18.03.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी पवनकुमार बनाम
इन्द्रा आदि आवेदन पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्कारी अधि.
मु.नं. 363/2013

उपस्थिति :
1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/4/26

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 363/2013 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 458, 462, 465, 463, 464 वाके ग्राम महरमपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्थान टीनेन्सी रूल्स के नियम 69 में प्रावधान है कि प्रार्थना पत्र निर्धारित फार्म में प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं या इंस्पेक्टर ऑफ लैण्ड रिकार्डस (गिरदावर) के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं करवया जायेगा तात्पर्य यह है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्वयं या गिरदावर हल्का या उससे उपर के अधिकारी से मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट मंगवा सकते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने तहसीलदार चिड़ावा को मौका देखकर रिपोर्ट करने के लिये निर्देश दिया। तहसीलदार चिड़ावा ने निर्देश की पालना न कर स्वयं ने मौका नहीं देखा और फर्द मौका में यह दर्ज किया हुआ है कि तहसीलदार चिड़ावा के आदेश से फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिस पर दिनांक 14.07.2014 दर्ज की हुई है। इस मौका फर्द आदि दस्तावेजात को तहसीलदार चिड़ावा ने दिनांक 06.08.2014 अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में दिनांक 08.08.2014 को पेश होना अंकित है। दिनांक 08.08. 2014 की न तो पेशी थी ओर नहीं इस फर्द मौका आदेशिका में लिया गया व न ही पक्षकारान को इस पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उक्त फर्द मौका पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में यह कही भी अंकित नहीं किया गया कि पत्रावली में किस पेशी के नोटिस कब जारी किये गये व किस पेशी की

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तामील कब हुई। दिनांक 12.03.2020 से दिनाक 21.01.2021 तक पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई पेशी नहीं दी गई और इसके बावजूद भी पक्षकारान को बिना नोटिस दिये ही बिना सुनवाई का अवसर दिये ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 की निर्णय में जाति गलत दर्ज की है व पारित निर्णय के आदेश में वर्णित खसरा नम्बर की जमीन अन्यत्र जगह पर है। खसरा नम्बर 453 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे नजरी नक्शा में रास्ता दर्ज है इससे जाहिर है कि न्यायिक विवेचन व अवलोकन नहीं किया गया। गणपत का देहान्त हो गया व उसके लड़के भूदरमल का भी देहान्त हो गया। भूदरमल का लड़का अपीलान्ट नं. 1 व पत्नी अपीलान्ट नं. 2 है। गोरूराम का देहानत हो गया व उसके लड़कों महावीर व भादरमल उर्फ बहादुरमल का भी देहान्त हो गया। भादरमल उर्फ बहादुरमल का देहान्त सन 2020 में हुआ व उसके वारिसान मे उसकी पत्नी श्रीमती नर्बदा है। महावीर के वारिसान में रेस्पोडेन्टस नं. 8 से 10 व पुत्रीगण श्रीमती प्रभाती व श्रीमती सरोज है। ताराचन्द का देहान्त करीब 7 साल पहले हुआ उसका लड़का रेस्पोडेन्ट नं. 5 व लड़कियां रेस्पोडेन्टस नं. 6 व 7 है। रेस्पोडेनटस नं. 5 से 7 का पिता ताराचन्द था व कुरड़ाराम होना गलत दर्ज किया है। कुरड़ाराम इनका दादा था। इस प्रकार अनावेदकगण नं. 7 से 9 क सही पता दर्ज नहीं किया व पिता का नाम भी सही दर्ज नहीं किया गया। उक्त मगाराम उर्फ मुंगराम का देहान्त करीब 35 साल पहले हुआ था व उसकी पत्नी श्रीमती मालीराम का देहान्त सन 1997 में हुआ था। इनके लड़के ग्यारसीलाल व रेस्पोडेन्ट नं. 4 जगदीश हुये। ग्यारसीलाल करीब 5 साल का था तब ही अपनी ननीहाल चिड़ावा में हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार गोद चला गया था और उसके जाईन्दा माता पिता ने ग्यारसीलाल को गोद दिया था व ग्यारसीलाल की नानी ने गिविंग एण्ड टेंकिग के दस्तुर सहित गोद लिया था। इसी कारण करीब 5 साल की उम्र से ग्यारसीलाल चिड़ावा में आबाद रहा व गोद जाने के कारण ही ग्राम महरमपुर के राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं आया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ग्यारसीलाल की मृत्यु भी 3 साल पहले ही कस्बा चिड़ावा में हो गयी व रेस्पोडेन्टस नं. 12 से 18 ग्यारसीलाल के वारिसान है व मृतक व्यक्ति के खिलाफ भी विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भुल की है। आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों को विचारण न्यायालय ने सही होना नहीं माना व प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता प्रचलित होना भी नहीं माना। राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) रूल्स 1955 के नियम 99 से 102 की पालना नहीं की गयी। शपथ पत्र में तथ्यों का उल्लेख नहीं किया। शपथ पत्र में आवेदक का नाम पता दर्ज किया गया व अंगूठा निशानी चांदकोर अंकित की गयी। लेकिन शपथ पत्र में रास्ते के बाबत कोई तथ्य दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार आवेदन पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं हुआ। आवेदन पत्र में दर्ज रास्ते को विचारण न्यायालय ने नहीं माना। जो साक्ष्य नकल नक्शा पेश हुआ है उसमें खसरा नम्बर 459 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 458 में आने जाने के लिये रास्ता दर्शाया गया है। इसका खण्डन भी नहीं किया गया। इस कारण निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के निर्णय दिनांक 18.03. 2021 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 का आवेदन पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय खर्चा खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018–19 सप्ली. पेज 576, आरआरटी 2019(2) पेज 1543, आरआरटी 2018–19 सप्ली. पेज 186, आरआरटी 2018–19 सप्ली. पेज 189, आरबीजे 2020 पेज 40, आरबीजे 2019 पेज 443, आरआरटी 2019(1) पेज 403, आरआरटी 2018–19 सप्ली. पेज 342, आरआरटी 2019(2) पेज 1507 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 458, 462, 465, 463, 464

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाके ग्राम महरमपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान द्वारा रास्ता मार्क सी से डी को कायम करवाने हेतु सहमत हुये है। उक्त रास्ता भूमि खसरा नम्बर 459 में से आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 458 की पश्चिमी सीमा तक 3 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो 0.05 है. भूमि रास्ते में आती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भूमि खसरा नम्बर 459 के खातेदारो से ना तो आवेदक द्वारा रास्ता चाहा गया है और ना ही 458 के खातेदार पत्रावली में पक्षकार है। इसलिए उक्त नया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 459 में से दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। जबकि तहसीलदार चिड़ावा ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न नंजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता मार्क ई से एफ भूमि खसरा नम्बर 453 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे होकर आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 458 की दक्षिणी सीमा तक 3 मीटर चौड़ा नया रास्ता दिया जाता है तो 0.02 है. भूमि रास्ते में जायेगी। तहसीलदार चिड़ावा ने उक्त रास्ते को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता बताया है जो तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शे से साबित भी होती है। अन्तर्गत धारा 251 ए में भी यही प्रावधान है कि किसी भी खातेदार द्वारा नया मार्ग/रास्ता चाहे जाने पर उसको सुविधानुसार नया मार्ग/रास्ता नहीं दिया जा सकता है। किसी भी खातेदार को नितान्त आवश्यकता होने पर ही नया मार्ग/रास्ता दिया जायेगा। नया मार्ग/रास्ता सबसे कम/निकटतम दुरी का ओर प्रभावित खातेदार/काश्तकारी की भूमि की सीमा के सहारे–सहारे ही दिया जायेगा। विचारण न्यायालय में कुल 14 अप्रार्थीगण है। विचाराधीन निर्णय को केवल अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा चुनौती दी गई है। शेष अप्रार्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट रामनिवास की जरिये वकील श्री संदीप मान उपस्थिति रहीं है। श्री संदीप मान द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर मौका रिपोर्ट अनुसार नया रास्ता सी से डी कायम करने में कोई एतराज

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं होना अंकित किया गया है। अप्रार्थी सं. 4 मूलती/अपीलान्ट के बावजूद तामील विचारण न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। मृत पक्षकार के विधिक वारिसान द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में इस आधार पर अपीलान्ट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का होना एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 458, 462, 465, 463, 464 वाके ग्राम महरमपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान द्वारा रास्ता मार्क सी से डी को कायम करवाने हेतु सहमत हुये है। उक्त रास्ता भूमि खसरा नम्बर 459 में से आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 458 की पश्चिमी सीमा तक 3 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो 0.05 है. भूमि रास्ते में आती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भूमि खसरा नम्बर 459 के खातेदारो से ना तो आवेदक द्वारा रास्ता चाहा गया है और ना ही 458 के खातेदार पत्रावली में पक्षकार है। इसलिए उक्त नया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 459 में से दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। जबकि तहसीलदार चिड़ावा ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता मार्क ई से एफ भूमि खसरा नम्बर 453 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे होकर आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 458 की दक्षिणी सीमा तक 3 मीटर चौड़ा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नया रास्ता दिया जाता है तो 0.02 है. भूमि रास्ते में जायेगी। तहसीलदार चिड़ावा ने उक्त रास्ते को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता बताया है जो तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शे से साबित भी होती है।

धारा 251 ए में भी यही प्रावधान है कि किसी भी खातेदार द्वारा नया मार्ग/रास्ता चाहे जाने पर उसको सुविधानुसार नया मार्ग/रास्ता नहीं दिया जा सकता है। किसी भी खातेदार को नितान्त आवश्यकता होने पर ही नया मार्ग/रास्ता दिया जायेगा। नया मार्ग/रास्ता सबसे कम/निकटतम दुरी का ओर प्रभावित खातेदार/काश्तकारी की भूमि की सीमा के सहारे–सहारे ही दिया जायेगा।

विचारण न्यायालय में कुल 14 अप्रार्थीगण है। विचाराधीन निर्णय को केवल अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा चुनौती दी गई है। शेष अप्रार्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट रामनिवास की जरिये वकील श्री संदीप मान उपस्थिति रहीं है। श्री संदीप मान द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर मौका रिपोर्ट अनुसार नया रास्ता सी से डी कायम करने में कोई एतराज नहीं होना अंकित किया गया है। अप्रार्थी सं. 4 मूलती/अपीलान्ट के बावजूद तामील विचारण न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

मृत पक्षकार के विधिक वारिसान द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में इस आधार पर अपीलान्ट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का होना एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 6/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कार्य झुन्झुनूं)